

राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुरु ठेवण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,
शासन निर्णय क्र. इबीसी-२०१६/प्र.क्र. २२१/शिक्षण-१,
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक : ३१ मार्च, २०१६.

वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१५/
प्र. क्र. २१९/तांशि-४, दिनांक ३१ मार्च, २०१६.

प्रस्तावना :

शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिपत्याखालील मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय शैक्षणिक वर्ष २००६-०७ पासून घेतलेला आहे. सदरहू निर्णय शैक्षणिक वर्ष २००७-०८, २००८-०९, २००९-१०, २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये कायम ठेवण्यात आलेला आहे. सदरहू योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून सुरु ठेवण्याबाबतच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावास मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आली असून त्यासंदर्भातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या दिनांक ३१ मार्च, २०१६ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :

राज्यातील शासकिय, अशासकिय अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालये /तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुरु ठेवण्यास खालीलप्रमाणे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :-

१. प्रचलित शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीस दरवर्षी मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता धोरण म्हणून सदर योजनेस मान्यता देण्यात यावी.

३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातील सुधारीत पद्धतीचा पुढील शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी विभागाने सविस्तर आढावा घ्यावा.

४. तसेच सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता आवश्यक असलेला निधी प्रत्येक वित्तीय वर्षी अर्थसंकल्पीत करून उपलब्ध करण्यात यावा.

५. सदर योजनेचे मूळ निकष न बदलता अंमलबजावणीत सुधारणा करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांस वित्त विभागाच्या सल्ल्याने प्रदान करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार सदरहू योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुरु ठेवण्यास खालील सुधारित अटी व शर्तीनुसार मान्यता देण्यात येत आहे-

अ) आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रम (वैद्यकीय, दंत, होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद, भौतिकोपचार, व्यवसायोपचार व नर्सिंग) :- असोशिएशन ऑफ मॅनेजमेंट्स ऑफ अनएडेड प्रायव्हेट मेडीकल अँड डेंटल कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई यांनी आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षास राबविलेल्या प्रवेश प्रक्रियेतून अथवा शासनाच्या सामाईक प्रवेश परीक्षाद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ते त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करेपर्यन्तच्या कालावधीसाठी लागू राहिल. मात्र सदर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्था स्तरावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अशा प्रवेशांना प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिली असली तरी या योजनेचा लाभ होणार नाही.

ब) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत- राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालये /तंत्रनिकेतनांसमवेत शासकीय व अनुदानित महाविद्यालये /तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठातील विनाअनुदानित तत्वावर चालविली जाणारी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना लागू राहिल.

या योजनेमध्ये खालील अभ्यासक्रमांचा समावेश राहिल :-

| पदविका | पदवी | पदव्युत्तर पदवी |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | एम.बी.ए./एम.एम.एस. |
| औषधनिर्माणशास्त्र | औषधनिर्माणशास्त्र | एम.सी.ए. |
| एचएमसीटी | एचएमसीटी | -- |
| -- | वास्तुशास्त्र | -- |

क) कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग :- राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत असलेल्या मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित विद्यालये/महाविद्यालयांमधील शासकीय कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती पुढील अभ्यासक्रमांसाठी ही प्रतिपूर्ती योजना लागू राहिल.

कृषी विद्यालये (पदविका)

दुग्ध व्यवसाय विकास (पदविका)

कृषी व संलग्न विषयांची महाविद्यालये (पदवी व पदव्युत्तर)

कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालये (पदवी व पदव्युत्तर)

कृषी अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालये (पदवी व पदव्युत्तर)

ड) महाराष्ट्र शासनाच्या बी.एड व डी.एड. अभ्यासक्रमाच्या प्रतिपूर्तीसाठी पूर्वीचे आदेश लागू राहतील. सदर अभ्यासक्रमांची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाच्या अनुक्रमे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग व शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे अनुज्ञेय राहिल.

२) सदरहू योजना सन २०१५-१६ पासून पुढे खालील अटी व शर्तीनुसार लागू राहतील :-

- (१) राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती व इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के प्रतिपूर्ती त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यन्त अनुज्ञेय राहिल.
- (२) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये ४.५० लाखाच्या मर्यादेत असावे. या योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरिता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यन्त अनुज्ञेय राहिल. अशा विद्यार्थ्यांना दुस-या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
- (३) आरक्षणाचा लाभ न घेता गुणवत्तेनुसार खुल्या गटातील जागांवर प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सुध्दा सदर योजना लागू राहिल.
- (४) उपरोक्त योजना फक्त शासकीय कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच लागू राहिल.
- (५) तंत्रशिक्षणाशी निगडित पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी या योजनेचा लाभ ज्या विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतला आहे, अशाच विद्यार्थ्यांना लागू राहिल. मात्र सदर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अशा प्रवेशांना प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिली असली तरी या योजनेचा लाभ होणार नाही.
- (६) थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी तसेच औषध निर्माण शास्त्र तसेच पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांनी जर शासनाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतला असेल तरच त्यांना प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ होईल. मात्र सदर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अशा प्रवेशांना प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिली असली तरी या योजनेचा लाभ होणार नाही.
- (७) सदरहू योजनेचा लाभ एआयईईई कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू राहिल.
- (८) सदर योजना ही खाजगी अभिमत विद्यापीठ अथवा खाजगी स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.
- (९) सदर योजनेतर्गत देण्यात येणारा लाभ हा शासनाने निश्चित केलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केवळ महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र असणा-या विद्यार्थ्यांसाठीच मर्यादित राहिल.

(१०)शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांपैकी केवळ कोणत्याही एकाच योजनेतर्गत लाभ मिळण्यास संबंधित विद्यार्थी पात्र असेल. म्हणजेच अन्य योजनेच्या माध्यमातुन विद्यार्थी कोणत्याही शिष्यवृत्ती / शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेत असल्यास तो विद्यार्थी या योजनेतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र असणार नाही.

(११)आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रम, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्गत येणारे अभ्यासक्रम व कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत येणारे अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांने नियमितपणे महाविद्यालया / तंत्रनिकेतनामध्ये शिक्षणासाठी वर्गात उपस्थित राहणे आवश्यक राहिल व प्रत्येक सत्र अथवा वर्षाची परीक्षा देणे आवश्यक राहिल. केवळ विशिष्ट परिस्थितीत विशेषतः आजारपणाच्या कारणास्तव परीक्षा देणे शक्य झाले नसल्यास संबंधित विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थेने तशी शिफारस केल्यानंतर संबंधीत सक्षम अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित करणे आवश्यक राहिल.

(१२)पात्र लाभार्थी विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतल्यानंतर एखादया सत्राची (सेमिस्टरची) परीक्षा दिली नसल्यास अथवा एखादया शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्याने त्या वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास पुढील वर्षाकरिता सदर योजनेतर्गत सदर विद्यार्थी लाभ मिळण्यास अपात्र राहिल.

तथापि, तदनंतर पुनश्च: त्या सत्र/वर्षात परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर अथवा अंशतः पास (ATKT) झाल्याने त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी पुन्हा पात्र ठरेल.

(१३)परंतु असे पात्र लाभार्थी विद्यार्थी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यानंतर संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालावधीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळी पूर्णतः अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसेल तर संबंधित विद्यार्थी प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर योजनेतर्गत लाभाकरिता कायमस्वरूपी अपात्र ठरेल.

(१४) लाभार्थी विद्यार्थी व संबंधित शिक्षण संस्था यांनी सदर योजनेतर्गत लाभ घेण्यासाठी सादर केलेल्या अर्जात चूकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्यास त्यास उर्वरित अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठी लाभ देण्यात येणार नाही. तसेच, त्या विद्यार्थ्याला/संस्थेला त्यांनी सादर केलेल्या चूकीच्या माहितीच्या आधारे त्यापूर्वी मिळालेल्या लाभाच्या संपूर्ण रकमेची व्याजासह वसूली करण्यात येईल व कोणत्याही योजनेतर्गत संबंधित विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्ती/शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्यास प्रतिबंधित केले जाईल. या संदर्भातील सर्वस्वी जबाबदारी ही योजनेची अंमलबजावणी करणा-या सक्षम प्राधिकाऱ्याची असेल.

(१५) संबंधित विद्यार्थी स्वतःच्या चुकीच्या वर्तनामुळे समाधानकारक शैक्षणिक प्रगती करित नसल्याबाबत किंवा संबंधित प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनियमितपणे गैरहजर राहणे इत्यादी स्वरूपाचे गैरवर्तन करत असल्याबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने निदर्शनास आणले तर अशा विद्यार्थ्याची शुल्क प्रतिपूर्ती थांबविण्यात किंवा रद्द करण्यात येईल.

- (१६) ज्या अभ्यासक्रमाकरिता पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांस प्रतिपूर्ती प्रदान करण्यात आली आहे तो अभ्यासक्रम संबंधित विद्यार्थ्यांने मध्येच सोडला तर अशा विद्यार्थ्यांस प्रदान केलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनास योग्य वाटल्यास त्याच्या/तिच्याकडून वसूल केली जाईल.
- (१७) सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतच्या कोणत्याही पूर्वसूचना न देता बदल अथवा सुधारणा करण्याचे अधिकार शासनास राहतील व असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याबाबतचा दावा कोणत्याही विद्यार्थ्यांस किंवा शैक्षणिक संस्थेस अथवा विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शासनाच्या विरुद्ध करता येणार नाही.
- (१८) सदर योजनेच्या लाभाकरिता शासकीय अथवा शासन अनुदानित शैक्षणिक संस्था किंवा शासकीय विद्यापीठ वगळून अन्य सर्व खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व विद्यार्थ्यांकडून आकारावयाचे असलेले शिक्षण शुल्क हे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक (प्रवेश व शिक्षण शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५, मधील तरतूदीनुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून प्रत्येक वर्षी निश्चित करून अंतिम करणे आवश्यक राहिल.
- (१९) सदर योजनेतर्गत पात्र असणारे व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी पुढील ३ वर्षांच्या आत म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पर्यंत सक्षम शिखर संस्थेकडून मूल्यांकन व दर्जाचा मानांकन प्राप्त करणे (Assesment and Accreditation) आवश्यक राहिल. तदनंतर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून संबंधित शिखर संस्थांकडून मूल्यांकन व दर्जा निश्चिती करून मूल्यांकन प्राप्त न केल्यास अशा संस्थांना मूल्यांकन व दर्जा मानांकन प्राप्त होईपर्यंत या योजनेतून वगळण्यात येईल व त्या वर्षापासून केवळ मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिताच सदर योजना लागू राहिल.

शुल्क प्रतिपूर्तीच्या वितरणाची कार्यपद्धती:-

- (०१) सदर योजनेतर्गत शैक्षणिक संस्थांमधील सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणा-या पात्र लाभार्थींचे अर्ज संगणकीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्विकारण्यात यावे.
- (०२) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता निश्चित केलेल्या त्याच्या कुटुंबाची (दोन्ही पालकांची एकत्र) उत्पन्न मर्यादा ही सक्षम अधिकाऱ्याने प्रमाणित केल्याची खातरजमा करणे आवश्यक असून उत्पन्न प्रमाणपत्र हे किमान संबंधित तहसिलदार यांचे असावे.
- (०३) प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक किंवा विशिष्ट संगणकीय क्रमांक नमूद करून संबंधित विद्यार्थी प्रत्येक वर्षाच्या प्रथम सत्राच्या / वर्षाच्या परीक्षेस बसला असल्याबाबत संगणकीय प्रणालीद्वारे खातरजमा करून त्या विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती शैक्षणिक संस्थेने ऑनलाईन स्वरूपात प्रमाणित करून ऑनलाईन अर्ज सक्षम अधिका-याकडे सादर करणे आवश्यक राहिल.
- (०४) प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी हा संबंधित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतल्याची अथवा शिक्षण घेत असल्याची व शैक्षणिक संस्थेत बनावट विद्यार्थ्यांची नोंद नसल्याची संगणकीय प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे आवश्यक असेल.

(०५) सक्षम प्राधिका-यास ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती व त्यास दिलेला प्रवेश हा प्रवेश नियमन प्राधिकरणाद्वारे वैध ठरविण्यात आल्याची पडताळणी करावी.

(०६) पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती आधार क्रमांक किंवा विशिष्ट संगणकीय क्रमांकाशी संबंधित शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठ यांचेकडील अथवा अन्य उपलब्ध व्यक्तिगत माहितीशी संलग्नीत झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी प्रत्यक्षात शैक्षणिक संस्थेत शिकत असल्याची आणि शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षेस बसला असेल अशा व केवळ उपरोक्त नमूद सर्व अटी/शर्तीची पूर्तता करत असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांनाच सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल.

(०७) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरीता संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश हा प्रवेश नियमन प्राधिकरण व संबंधित विद्यापीठाने निश्चित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या पटावर नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबंधित अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणा-या पात्र विद्यार्थ्यांला व सहा महिन्यांचे पट पडताळून त्याला प्रमाणपत्र दिल्यावर लाभासाठी निश्चित करण्यात येईल. संस्थेने खोटे प्रमाणपत्र दिल्यास संस्थेवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

(०८) अशा पात्र विद्यार्थ्यांची विहित मर्यादेतील प्रतिपूर्ती सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून ही थेट स्वरूपात संबंधित शिक्षण संस्थेला त्यांच्या बँक खात्यात ECS द्वारे प्रतिपूर्ती करणे आवश्यक असेल.

(०९) वरीलप्रमाणे पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती केल्यानंतर दरवर्षी अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांची अभ्यासक्रम व शैक्षणिक संस्थानिहाय सविस्तर यादी ही समाजकल्याण आयुक्तालय व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास वर्ग कल्याण संचालनालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर न चुकता प्रसिध्द करणे बंधनकारक असेल.

(१०) तसेच सदर योजनेतर्गत पात्र लाभार्थ्यांपोटी शासनाकडून संबंधित शैक्षणिक संस्थांना अदा करण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत विविध विभागांच्या अखत्यारीतील सर्व सक्षम प्राधिकारी किंवा नेमून दिलेल्या त्यांच्या प्रतिनिधीद्वारे वेळोवेळी दरवर्षी लाभार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व उपस्थिती बाबत खात्री करावी. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना वेळापत्रकासह सक्षम प्राधिकारी व संनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी निर्गमित करावीत. तसेच या योजनेतील त्रुटी संदर्भातील निरीक्षण व फलनिष्पत्तीचा अहवाल सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत शासनास न चुकता वेळोवेळी सादर करणे अनिवार्य असेल.

यावर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा :-

अ) मागणी क्रमांक एन-३, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण, ०१-अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७-शिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०४)(२०) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षणासाठी शिक्षण फी व परीक्षा फी प्रदाने (विद्ययो) (२२२५ ३८०५) (योजनांतर्गत), ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने

ब) मागणी क्रमांक एन-३, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण, ०१-अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७-शिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- (०२) शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने, (०२)(१७) राज्यातील इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने (२२२५ ३२३३) (योजनांतर्गत), ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने

क) मागणी क्रमांक एन-३, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण, ०१-अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७-शिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- (०२) शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने, (०२)(०४) शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने (२२२५ ०८०६) (योजनेतर), ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने

ड) मागणी क्रमांक एन-३, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण, ०१-अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७-शिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- (०२) शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने, (०२)(१४) विशेष मागासप्रवर्ग विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती/शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने (२२२५ २५९६) (योजनेतर), ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०३३११६२९१७५२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(उ.शि.लोणारे)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव
- ४) मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव
- ५) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव
- ६) मा. मंत्री, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव
- ७) मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव
- ८) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
- ९) अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १०) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ११) अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १३) प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १४) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- १५) संचालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व विशेष मागास वर्ग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- १६) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- १७) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

- १८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
(प्रसिद्धीसाठी)
- १९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर.
- २०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर.
- २१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
- २२) सर्व प्रादेशिक उपायुक्त/सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग,
- २२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
- २३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
- २४) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थ-५), मंत्रालय, मुंबई.
- २५) कक्ष अधिकारी, विधानमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समिती, विधानभवन, मुंबई
- २६) कक्ष अधिकारी, विधानमंडळ इतर मागासवर्ग कल्याण समिती, विधानभवन, मुंबई
- २७) निवड नस्ती (कार्यासन शिक्षण-१).

राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रामामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुरु ठेवण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: व्यअप्र-२०१६/प्र.क्र.१२२/का.१२

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
तारीख: ३१ मार्च, २०१६.

वाचा -

- १) शासन निर्णय क्रमांक: उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.टीईएम-२०१५/प्र.क्र.२१९/ तांशि-४,
दि.३१ मार्च, २०१६.

प्रस्तावना -

राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनेस प्रथम सन २००६-०७ या शैक्षणिक वर्षाकरीता मंजूरी देण्यात आली होती. त्यानंतर सन २०१४-१५ पर्यंत दरवर्षी सदर योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदरहू योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून सुरु ठेवण्याबाबतच्या प्रस्तावास दिनांक १७.०३.२०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सुधारणांसह मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.३१.०३.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर सदरहू योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुधारीत अटी व शर्तीनुसार सुरु ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय -

राज्यातील शासकिय, अशासकिय, अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालये /तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची सन २०१५-१६ या वर्षापासून शिक्षण शुल्क समिती, प्राधिकरण किंवा परिषदेने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्कांची प्रतिपूर्ती करण्यास शासन मान्यता देत आहे.

२. सदर योजना सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून खालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमाच्या पूर्ण कालावधीपर्यंत लागू राहील.

अ) आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रम (वैद्यकीय, दंत, होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद, भौतिकोपचार, व्यवसायोपचार व नर्सिंग)

ब) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत असणारे अभ्यासक्रम :

| पदविका | पदवी | पदव्युत्तर पदवी |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | एम.बी.ए. |
| औषधनिर्माणशास्त्र | औषधनिर्माणशास्त्र | एम.सी.ए. |
| एच.एम.सी.टी. | एच.एम.सी.टी. | -- |
| -- | वास्तुशास्त्र | -- |

क) कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागांतर्गत पदविका, पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेच बी.एस.सी. (जैव तंत्रज्ञान).

ड) इयत्ता १० वीची शालांत परिक्षा (एस.एस.सी/सी.बी.एस.सी. व तत्सम) उत्तीर्ण झाल्यानंतरचे महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे पूर्ण वेळ अभ्यासक्रम.

३. या योजनेचा लाभ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येईल:-

- १) सदरहू योजनेचा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पूर्वी वा चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमांच्या पूर्ण कालावधीपर्यंत या आदेशातील अटी शर्तीनुसार लागू राहिल.
- २) अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसाठी शासनाच्या सामायिक प्रवेश परिक्षेद्वारा (सी.ई.टी.) प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लागू राहिल. सदर योजनेचा लाभ संस्था स्तरावर करण्यात येत असलेल्या (Institutional Level Quota) परिक्षेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.
- ३) आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांसाठी शासनाच्या सामायिक प्रवेश परिक्षेद्वारा (सी.ई.टी.) प्रवेश घेतलेल्या तसेच खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयाच्या वतीने तसेच असोसिएशनमार्फत घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परिक्षेद्वारा (Associate CET) आणि इ.१२ वी च्या गुणांच्या आधारे काही अभ्यासक्रमांसाठी (उदा.नर्सिंग) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू राहिल.
- ४) शालेय शिक्षण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित, अध्यापक विद्यालय (डी.एड) व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अध्यापक महाविद्यालयांमध्ये (बी.एड) शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क व इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती सध्या शासकीय दराप्रमाणे करण्यात येते. तेथे ती पुढे चालू ठेवण्यात यावी.
- ५) कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसायाच्या काही अभ्यासक्रमांसाठी शासनाची सामायिक परिक्षा (सी.ई.टी.) घेण्यात येत नाही. त्यावेळी इ. १२ वी च्या गुणांच्या आधारावर अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहिल.

- ६) तंत्र शिक्षणाशी निगडीत पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहिल.
- ७) थेट व्दितीय वर्ष अभियांत्रिकी तसेच औषधीनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमास केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहिल.
- ८) सदरहू योजनेचा लाभ एआयईईई कोटयातून प्रवेश घेणा-या महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांनाही लागू राहिल.
- ९) सदरहू योजना ही खाजगी अभिमत विद्यापीठात (Deemed University) अथवा खाजगी स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अनुज्ञेय राहणार नाही.
- १०) ही योजना अनिवासी भारतीयांकरिता (N.R.I.) विहित कोट्यात व्यवस्थापनामार्फत देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.
- ११) शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांपैकी केवळ काणत्याही एकाच योजनेतर्गत लाभ मिळण्यास संबंधित विद्यार्थी पात्र असेल. म्हणजेच अन्य योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थी कोणत्याही शिष्यवृत्ती / शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ घेत असल्यास तो विद्यार्थी या योजनेतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र असणार नाही.
- १२) आरक्षणाचा लाभ न घेता, गुणवत्तेनुसार खुल्या गटातील जागांवर प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुध्दा सदरची योजना लागू राहिल.
- १३) सदर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल. त्याशिवाय शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येवू नये.
- १४) सदर योजनेतर्गत देण्यात येणारा लाभ हा शासनाने निश्चित केलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केवळ महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच मर्यादित राहिल.
- १५) लाभार्थी विद्यार्थ्यांने नियमितपणे महाविद्यालय / तंत्रनिकेतनामध्ये शिक्षणासाठी वर्गात उपस्थित राहणे आवश्यक राहिल व प्रत्येक सत्र अथवा वर्षाची परीक्षा देणे आवश्यक राहिल. केवळ विशिष्ट परिस्थितीत विशेषतः आजारपणाच्या कारणास्तव परीक्षा देणे शक्य झाले नसल्यास तसे संबंधित विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थेने शिफारस केल्यानंतर संबंधित प्रकल्प अधिकारी, यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक राहिल.
- १६) पात्र लाभार्थी विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतल्यानंतर एखादया सत्राची (सेमिस्टरची) परीक्षा दिली नसल्यास अथवा एखादया शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्याने त्या वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास पुढील वर्षाकरिता सदर योजनेतर्गत सदर विद्यार्थी लाभ मिळण्यास अपात्र राहिल.

- १७) तथापि, तदनंतर पुनश्च: त्या सत्र/वर्षात परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर अथवा अंशतः पास (ATKT) झाल्याने त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाल्यास सदर योजनेतील लाभासाठी पुन्हा पात्र ठरेल.
- १८) परंतु असे पात्र लाभार्थी विद्यार्थी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यानंतर संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या एकूण कालावधीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळी पूर्णतः अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसेल तर संबंधित विद्यार्थी प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर योजनेतर्गत लाभाकरिता कायमस्वरूपी अपात्र ठरेल.
- १९) लाभार्थी विद्यार्थी व संबंधित शिक्षण संस्था यांनी सदर योजनेतर्गत लाभ घेण्यासाठी सादर केलेल्या अर्जात चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्यास त्यास उर्वरित अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठी लाभ देण्यात येणार नाही. तसेच, त्या विद्यार्थ्याला/संस्थेला त्यांनी सादर केलेल्या चुकीच्या माहितीच्या आधारे त्यापूर्वी मिळालेल्या लाभाच्या संपूर्ण रकमेची व्याजासह वसूली करण्यात येईल व कोणत्याही योजनेतर्गत संबंधित विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्ती/शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्यास प्रतिबंधित केले जाईल. या संदर्भातील सर्वस्वी जबाबदारी ही योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची असेल.
- २०) संबंधित विद्यार्थी स्वतःच्या चुकीच्या वर्तनामुळे समाधानकारक शैक्षणिक प्रगती करित नसल्याबाबत किंवा संबंधित प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनियमितपणे गैरहजर राहणे इत्यादी स्वरूपाचे गैरवर्तन करत असल्याबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने निदर्शनास आणले तर अशा विद्यार्थ्याची शुल्क प्रतिपूर्ती थांबविण्यात किंवा रद्द करण्यात येईल.
- २१) ज्या अभ्यासक्रमाकरिता पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यास प्रतिपूर्ती प्रदान करण्यात आली आहे तो अभ्यासक्रम संबंधित विद्यार्थ्याने मध्येच सोडला तर अशा विद्यार्थ्यास प्रदान केलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनास योग्य वाटल्यास त्याच्या/तिच्याकडून वसूल केली जाईल.
- २२) सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्याही पूर्वसूचना न देता बदल अथवा सुधारणा करण्याचे अधिकार शासनास राहतील व असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याबाबतचा दावा कोणत्याही विद्यार्थ्यास किंवा शैक्षणिक संस्थेस अथवा विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शासनाच्या विरुद्ध करता येणार नाही.
- २३) सदर योजनेच्या लाभाकरिता शासकीय अथवा शासन अनुदानित शैक्षणिक संस्था किंवा शासकीय विद्यापीठ वगळून अन्य सर्व खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व विद्यार्थ्यांकडून आकारावयाचे असलेले शिक्षण शुल्क हे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक (प्रवेश व शिक्षण शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ मधील तरतूदीनुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून प्रत्येक वर्षी निश्चित करून अंतिम करणे आवश्यक राहिल.

२४) सदर योजनेतर्गत पात्र असणारे व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी पुढील ३ वर्षांच्या आत म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पर्यंत सक्षम शिखर संस्थेकडून मूल्यांकन व दर्जाचा मानांकन प्राप्त करणे (Assessment and Accreditation) आवश्यक राहिल. तदनंतर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून संबंधित शिखर संस्थांकडून मूल्यांकन व दर्जा निश्चिती करून मूल्यांकन प्राप्त न केल्यास अशा संस्थांना मुल्यांकन व दर्जा मानांकन प्राप्त होईपर्यंत या योजनेतून वगळण्यात येईल व त्या वर्षापासून केवळ मानांकन प्राप्त करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिताच सदर योजना लागू राहिल.

शुल्क प्रतिपूर्तीच्या वितरणाची कार्यपद्धती:-

२५) सदर योजनेतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र लाभार्थींचे ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्यासाठी ई-विकास प्रणाली कार्यरत असून सदर प्रणाली संबंधित विद्यापीठाशी जोडून त्याद्वारे संबंधित पात्र लाभार्थींनी परीक्षा दिली आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्यासाठीची सोय करण्यात यावी. याकरीता सर्व संबंधित विद्यापीठाकडून सक्षम प्राधिकाऱ्यांना त्यांच्या संगणक प्रणालीशी जोडण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रकारचे सहकार्य करणे अनिवार्य असेल.

२६) प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक किंवा विशिष्ट संगणकीय क्रमांक नमूद करून संबंधित विद्यार्थी प्रत्येक वर्षाच्या प्रथम सत्राच्या / वर्षाच्या परीक्षेस बसला असल्याबाबत संगणकीय प्रणालीद्वारे खातरजमा करून त्या विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती शैक्षणिक संस्थेने ऑनलाईन स्वरूपात प्रमाणित करून ऑनलाईन अर्ज सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर करणे आवश्यक राहिल.

२७) प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी हा संबंधित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतल्याची अथवा शिक्षण घेत असल्याची व शैक्षणिक संस्थेत बनावट विद्यार्थ्यांची नोंद नसल्याची संगणकीय प्रणालीद्वारे पडताळणी करणे आवश्यक असेल.

२८) सक्षम प्राधिकाऱ्यास ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती व त्यास दिलेला प्रवेश हा प्रवेश नियमन प्राधिकरणाद्वारे वैध ठरविण्यात आल्याची पडताळणी करावी.

२९) पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती आधार क्रमांक किंवा विशिष्ट संगणकीय क्रमांकाशी संबंधित संचालनालय/ शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठ यांचेकडील अथवा अन्य उपलब्ध व्यक्तिगत माहितीशी संलग्नीत झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी प्रत्यक्षात शैक्षणिक संस्थेत शिकत असल्याची आणि शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षेस बसला असेल अशा व केवळ उपरोक्त नमूद सर्व अटी/शर्तीची पूर्तता करत असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच सदर योजनेतील लाभासाठी पात्र समजण्यात येईल.

३०) ज्या अभ्यासक्रमांना सत्र परीक्षा पध्दती लागू नाही, अशा अभ्यासक्रमाकरीता संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश हा प्रवेश नियमन प्राधिकरण व संबंधित विद्यापीठाने निश्चित केल्यानंतर विद्यापीठाच्या पटावर नोंदविण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक तपासून संबंधित अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांला व

सहा महिन्याचे पट पडताळून त्याला प्रमाणपत्र दिल्यावर लाभासाठी निश्चित करण्यात येईल. संस्थेने खोटे प्रमाणपत्र दिल्यास संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

- ३१) अशा पात्र विद्यार्थ्यांची विहित मर्यादेतील प्रतिपूर्ती सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून ही थेट स्वरूपात संबंधित शिक्षण संस्थेला त्यांच्या बँक खात्यात ECS द्वारे प्रतिपूर्ती करणे आवश्यक असेल.
- ३२) वरीलप्रमाणे पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती केल्यानंतर दरवर्षी अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांची अभ्यासक्रम व शैक्षणिक संस्थानिहाय सविस्तर यादी आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर न चुकता प्रसिध्द करणे बंधनकारक असेल.
- ३३) तसेच सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांपोटी शासनाकडून संबंधित शैक्षणिक संस्थांना अदा करण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत वेळोवेळी संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी लाभार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व उपस्थिती बाबत खात्री करावी. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना वेळापत्रकासह संनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी निर्गमित कराव्यात. तसेच या योजनेतील त्रुटी संदर्भातील निरीक्षण व फलनिष्पत्तीचा अहवाल प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आयुक्तालयामार्फत शासनास न चुकता वेळोवेळी सादर करणे अनिवार्य असेल.
- ३४) सदर योजनेंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतीपूर्तीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना संनियंत्रण व समन्वयक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
- ३५) सदर योजनेच्या वर नमूद सुधारीत अंमलबजावणीच्या पध्दतीबाबत व योजनेच्या फलनिष्पत्तीसंदर्भात शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी न चुकता सविस्तर आढावा घ्यावा. तसेच आढाव्याअंती आवश्यकतेनुरूप योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा सुचविण्यात याव्यात.
- ३६) या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण - राज्य योजनांतर्गत योजना - (०१)(३३) वैद्यकीय व तत्सम अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या (२२२५ ३५२९) ३४, शिष्यवृत्त्या व विद्यावेतने या लेखाशिर्षाखाली सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०४०११६०३०८८२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(सु.ना.शिंदे)
शासनाचे उप सचिव

प्रत,

- १) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
- २) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ५) सर्व विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य.
- ६) मा.मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ७) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर.
- ८) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर.
- ९) अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १०) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १२) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय, व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १३) प्रधान सचिव, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १४) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १५) कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे.
- १६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई.
- १७) संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- १८) आयुक्त आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक.
- १९) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
- २०) अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती.
- २१) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
- २२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.

- २३) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई.
- २४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई.
- २५) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची कार्यालये.
- २६) सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी आदिवासी विकास विभाग.
- २७) निवडनस्ती का-१२.

Rajendra Mane College of Engineering & Technology, Ambav

Number of students benefited by government scheme and amount

F.Y.2023-2024

| Department | Scheme | Approved By Institute | Approved By Department | Student Allotted Amount | Institute Allotted Amount | Total Allotted Amount |
|---|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Directorate of Technical Education | DrPunjabrao Deshmukh Vastigruh Nirvah Bhatta Yojna(DTE) | 90 | 90 | ₹ 28,57,600 | ₹ 0 | ₹ 28,57,600 |
| | Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulkh Shishyavrutti Yojna(EBC) | 163 | 163 | ₹ 1,93,209 | ₹ 54,12,397 | ₹ 56,05,605 |
| | Scholarship for students of minority communities pursuing Higher and Professional courses(DTE) | 5 | 5 | ₹ 2,36,555 | ₹ 0 | ₹ 2,36,555 |
| Directorate of Technical Education Total | | 258 | 258 | ₹ 32,87,364 | ₹ 54,12,397 | ₹ 86,99,760 |
| OBC, SEBC, VJNT & SBC Welfare Department | Payment of Maintenance Allowance to VJNT and SBC Students Studying in Professional Courses and Living in Hostel Attached to Professional Colleges | 1 | 1 | ₹ 7,000 | ₹ 0 | ₹ 7,000 |
| | Post Matric Scholarship to OBC Students | 85 | 85 | ₹ 3,64,975 | ₹ 30,29,264 | ₹ 33,94,239 |
| | Post Matric Scholarship to SBC Students | 7 | 6 | ₹ 35,404 | ₹ 4,23,219 | ₹ 4,58,623 |
| | Post Matric Scholarship to VJNT Students | 11 | 11 | ₹ 58,599 | ₹ 7,81,592 | ₹ 8,40,191 |
| | Tuition Fees and Examination Fees to OBC Students | 16 | 16 | ₹ 18,568 | ₹ 5,67,132 | ₹ 5,85,700 |
| | Tuition Fees and Examination Fees to SBC Students | 3 | 3 | ₹ 7,648 | ₹ 1,83,929 | ₹ 1,91,577 |
| | Tuition Fees and Examination Fees to VJNT Students | 8 | 8 | ₹ 20,760 | ₹ 4,71,350 | ₹ 4,92,110 |
| OBC, SEBC, VJNT & SBC Welfare Department Total | | 131 | 130 | ₹ 5,12,954 | ₹ 54,56,486 | ₹ 59,69,440 |
| Social Justice and Special Assistance Department | Government of India Post-Matric Scholarship (State Govt.40%) | 19 | 19 | ₹ 1,06,198 | ₹ 6,11,000 | ₹ 17,92,996 |
| | Government of India Post-Matric Scholarship (Central Govt.60%) | | | ₹ 1,59,298 | ₹ 9,16,500 | |
| | Post-Matric Tuition Fee and Examination Fee (Freeship) | 12 | 12 | ₹ 28,400 | ₹ 8,66,500 | ₹ 8,94,900 |
| Social Justice and Special Assistance Department Total | | 31 | 31 | ₹ 2,93,896 | ₹ 23,94,000 | ₹ 26,87,896 |
| Tribal Development Department | Vocational Education Fee Reimbursement | 1 | 1 | ₹ 2,184 | ₹ 77,000 | ₹ 79,184 |
| Tribal Development Department | | 1 | 1 | ₹ 2,184 | ₹ 77,000 | ₹ 79,184 |
| Grand Total | | 421 | 420 | 40,96,398 | 1,33,39,883 | 1,74,36,280 |

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the year

| Year | Name of the scheme | Number of students benefited by government scheme and amount | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|------------------|--------------------------|----------|
| | | Number of students | Amount | | |
| 2023-24 | NT Scholarship | KARANDE SARTHAK HANUMANTH | 61943.00 | | |
| | | BHALEKAR JAY SUNIL | 68751.00 | | |
| | | GHUGE MAHARUDRA EKNATH | 68751.00 | | |
| | | BUDHAWALE GIRISH SANTOSH | 68751.00 | | |
| | | KOTKAR GAURI KOTKAR | 68751.00 | | |
| | | SHINDE RIDDHI RAJU | 68751.00 | | |
| | | VARAK SAYALI NATHURAM | 68751.00 | | |
| | | BHALEKAR VEDANK JAGANNATH | 68751.00 | | |
| | | CHARKARI SUDHIR MANGESH | 79464.00 | | |
| | | JADHAV SHITAL SATISH | 79464.00 | | |
| | | PAWAR VINAY RAMESH | 79464.00 | | |
| | | Total | 781592.00 | | |
| | | 2023-24 | NT Freeship | RASAL CHINMAY MANOJKUMAR | 61943.00 |
| | | | | WAJE SAKSHI DEEPAK | 33275.00 |
| RATHOD PAYAL VIJAY | 35714.00 | | | | |
| WAGHATE ABHISHEK RAJAN | 79464.00 | | | | |
| AKHADE NITIN RAJARAM | 79464.00 | | | | |
| BODEKAR ASHISH RAMCHANDRA | 79464.00 | | | | |
| ZORE SHALINI SHANTARAM | 33275.00 | | | | |
| DIGE HEMANG NARAYAN | 68751.00 | | | | |
| Total | 471350.00 | | | | |
| 2023-24 | OBC Scholarship | | | BHUVAD SANI SHIVAJI | 30971.50 |
| | | BHUVAD SIDDHESH DINESH | 30971.50 | | |
| | | CHIKHALKAR AKSHAT ARUN | 30971.50 | | |
| | | GORKHE AKSHAT SUBHASH | 30971.50 | | |
| | | KUMBHAR PRIYA MANGESH | 30971.50 | | |
| | | MULUKH OMKAR PRAVIN | 30971.50 | | |
| | | PAWAR YASH ASHOK | 30971.50 | | |
| | | PAWASKAR GAURAV MANOHAR | 30971.50 | | |
| | | REEYA AJIT REWALE | 30971.50 | | |
| | | SHIRODKAR ROSHAN RAJESH | 30971.50 | | |
| | | JADHAV SARTHAK RAVINDRA | 30971.50 | | |
| | | KARANDE SUSHMITA SANTOSH | 30971.50 | | |
| | | KHARAT SHREYA DIPAK | 30971.50 | | |
| | | NALAVADE OMKAR SANJAY | 30971.50 | | |
| | | SAGVEKAR PURVA ANIL | 30971.50 | | |
| | | SHETYE MUKTAI NITIN | 30971.50 | | |
| | | CHOGALE HIMESH VIJAY | 30971.50 | | |
| | | BELKAR SIDDHARTH ANKUSH | 34375.50 | | |
| | | GHUME DIVYA DIPAK | 34375.50 | | |
| | | LINGAYAT PRATHAM JITENDRA | 34375.50 | | |
| | | RIYA YASHWANT PATIL | 34375.50 | | |
| | | SALVI SIDDHI VIJAY | 34375.50 | | |
| | | TODKARI PRATHAMESH SANJAY | 34375.50 | | |
| | | MAPARI PRATHAMESH RAMDAS | 34375.50 | | |
| | | MUKADAM MUZAMMIL ASIF | 34375.50 | | |
| | | PARAWATE VRUSHALI SANTOSH | 34375.50 | | |
| | | BHUVAD OMKAR ANANT | 34375.50 | | |
| | | GOTAD VIRENDRA VILAS | 34375.50 | | |
| | | SWAROOP SHANTARAM HORAMBE | 34375.50 | | |
| | | BORKAR OMKAR VISHWAS | 34375.50 | | |
| BORSE HARSHWARDHAN JAYENDRA | 34375.50 | | | | |
| GAWADE PRITI KISHOR | 34375.50 | | | | |
| GHADASHI RAJ SANJAY | 34375.50 | | | | |

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the year

| Year | Name of the scheme | Number of students benefited by government scheme and amount | |
|------|--------------------|--|-------------------|
| | | Number of students | Amount |
| | | KANADE SHRIYASH CHANDRAKANT | 34375.50 |
| | | KAWALKAR ASHRAY SANDIP | 34375.50 |
| | | KUMBHAR YASH SHIVAJI | 34375.50 |
| | | KUVALEKAR KALPESH BHANUDAS | 34375.50 |
| | | LINGAYAT TEJASWINI NANDKUMAR | 34375.50 |
| | | MHADE SIDDHESH SANTOSH | 34375.50 |
| | | MUDRAS LINA SANTOSH | 34375.50 |
| | | NEMAN SAMIKSHA SANJAY | 34375.50 |
| | | PARAB MAITHILI MANOHAR | 34375.50 |
| | | SUWARE DIPALI DATTARAM | 34375.50 |
| | | MUJAWAR UMAIR GIYAS | 34375.50 |
| | | PARSHARAM SAKSHI PRABHAKAR | 34375.50 |
| | | REDIJ SAMARTH VIJAY | 34375.50 |
| | | NAIK BABAN SHIVAJI | 34375.50 |
| | | AMBEKAR RUTUJA ANANT | 39732.00 |
| | | BARGIR MAAZ MANSOOR | 39732.00 |
| | | DHUMAK DIPRAJ ANIL | 39732.00 |
| | | GAJANE PRATHAMESH MAHENDRA | 39732.00 |
| | | GURAV PRATIK SANJAY | 39732.00 |
| | | HARYAN RAHUL AVADHUT | 39732.00 |
| | | JATHAR NUTAN RAJENDRA | 39732.00 |
| | | KELASKAR SAKSHI RAJENDRA | 39732.00 |
| | | KOKATE POOJA VINOD | 39732.00 |
| | | MOGARONKAR SACHIN RAJESH | 39732.00 |
| | | MOHIRE CHIRAG MAHENDRA | 39732.00 |
| | | NACHANKAR SAMARTH NITIN | 39732.00 |
| | | PATERE ABHIJIT ASHOK | 39732.00 |
| | | PATIL ASHUTOSH DEEPAK | 39732.00 |
| | | REVALE MAYURI SHRIKANT | 39732.00 |
| | | TANDALE VARAD VIDYADHAR | 39732.00 |
| | | THEEK RIYA RAJAN | 39732.00 |
| | | VALAPKAR AJAY ANANT | 39732.00 |
| | | YEDRE KIRAN SHIVAJI | 39732.00 |
| | | ACHAREKAR NILESH NARENDRA | 39732.00 |
| | | BHOSALE ATHARV AMOL | 39732.00 |
| | | BHUTE SNEHA VINOD | 39732.00 |
| | | BHUWAD ROSHAN RAMCHANDRA | 39732.00 |
| | | JADHAV RAHUL SANTOSH | 39732.00 |
| | | KATKAR ONKAR SHATRUGHAN | 39732.00 |
| | | MALI SHREYASH VILAS | 39732.00 |
| | | MANDAVKAR PRAJYOT SURESH | 39732.00 |
| | | MATE SARIKA RAMCHANDRA | 39732.00 |
| | | REWALE AMAN ANIL | 39732.00 |
| | | JADHAV TEJAS SITARAM | 39732.00 |
| | | PETKAR VINAYAK SANJAY | 28182.00 |
| | | BERDE SATWIK VIJAY | 39732.00 |
| | | JOYASHI ADARSH MAHESH | 34375.50 |
| | | KOLKAR PRANAV SADANAND | 34375.50 |
| | | KATKAR RIDDHESH RAVINDRA | 34375.50 |
| | | TAMBOSKAR MAYURESH SANJAY | 39732.00 |
| | | KHADABALE SANGHARSH SANTOSH | 34375.50 |
| | | MAYEKAR ABHIRAJ SANDIP | 34375.50 |
| | | Total | 3029264.00 |

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the year

| Year | Name of the scheme | Number of students benefited by government scheme and amount | |
|------------------------------|--------------------|--|--------------|
| | | Number of students | Amount |
| 2023-24 | OBC Freeship | KALAMBATE AJAY MAHENDRA | 30971.50 |
| | | BOLE MANSI SANJAY | 34375.50 |
| | | KOLVANKAR YOGESHWARI MADHAV | 17857.00 |
| | | VANAJU SAURABH RAVINDRA | 17857.00 |
| | | SURVE ADITI ARUN | 34375.50 |
| | | MASAYE GAURAV NAMDEV | 34375.50 |
| | | BHAT SHUBHAM RAJESH | 39732.00 |
| | | MUNJ DEVIKA MADHUKAR | 39732.00 |
| | | NIVALKAR SAKSHI SUDHAKAR | 39732.00 |
| | | ZADGAONKAR PAWAN RAJENDRA | 39732.00 |
| | | GARATE SANKET SHRIDHAR | 39732.00 |
| | | JOSHI AJINKYA SANJAY | 39732.00 |
| | | BHADKAMKAR SHUBHAM LILADHAR | 39732.00 |
| | | KARKARE SHRAVAN SANJAY | 39732.00 |
| | | GARATE SAGAR PRABODHAN | 39732.00 |
| | | VILANKAR MIHIR VIJAY | 39732.00 |
| | | | Total |
| 2023-24 | EBC Scholarship | BHAGAT GUNDU EKANATH | 30971.50 |
| | | CHAVAN RUSHIKESH VINAYAK- EWS | 30971.50 |
| | | CHOUGULE ANISH SHANKAR | 30971.50 |
| | | GADRE PARTH NARENDRA | 30971.50 |
| | | JOSHI KATYAYANI RAVINDRA- EWS | 30971.50 |
| | | KADAM PIYUSH PRAMOD- EWS | 30971.50 |
| | | KAZI ZISHAN SALIM | 30971.50 |
| | | KHANAPURKAR KRISHNA DURGESH | 30971.50 |
| | | MAYEKAR SHREYAS DNYANESHWAR | 30971.50 |
| | | MUGATRAO SURAJ SANTOSH- EWS | 30971.50 |
| | | SAKSHI SUNIL AMONKAR | 30971.50 |
| | | SAWANT NIKHIL LAV | 30971.50 |
| | | SHINDE KAUSTUBH RANDHIR | 30971.50 |
| | | SURVE GRISHMA MAHESH | 30971.50 |
| | | ADHATRAO PRATHMESH SANTOSH | 30971.50 |
| | | BHOSALE TRUSHA SATISH | 30971.50 |
| | | CHALKE TUSHAR SUBHASH | 30971.50 |
| | | DHAVADE VAIBHAV SANTOSH | 30971.50 |
| | | GAONKAR JAGANNATH SAKHARAM | 30971.50 |
| | | JADHAV VAISHNAVI MANOJ | 30971.50 |
| | | KAMAT ISHAN ABHAY | 30971.50 |
| | | PARAB DIPESH VASUDEV | 30971.50 |
| | | SHINDE SHARVARI RAJESH | 30971.50 |
| | | KULABKAR DURVESH SAKHARAM | 30971.50 |
| | | BHOSALE PRATHAM ANIL | 30971.50 |
| | | KHOT HUSSAIN SHAHBAZ | 30971.50 |
| | | MAHADIK ADITI UMESH | 30971.50 |
| | | ANERAO SUMIT RAVINDRA | 16637.50 |
| | | GAVANDI AMOL NILAPPA | 16637.50 |
| | | GURAV OMKAR DIPAK | 16637.50 |
| | | KANEKAR PRIYANKA SATISH | 16637.50 |
| | | LAD RASIKA DEEPAK | 16637.50 |
| LIMAYE YASH PRAKASH | 16637.50 | | |
| PANCHAL MAYURI SANTOSH | 16637.50 | | |
| RAVRANE VIJAYA HARISHCHANDRA | 16637.50 | | |
| SHIGVAN TANAYA RAJENDRA | 16637.50 | | |

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the year

| Year | Name of the scheme | Number of students benefited by government scheme and amount | |
|------|--------------------|--|----------|
| | | Number of students | Amount |
| | | AKTE VEDANT VIKAS | 34375.50 |
| | | CHALKE OM PRADIP | 34375.50 |
| | | KAKDE PRADNYESH DINESH | 34375.50 |
| | | KHOT VAIDEHI UMESH | 34375.50 |
| | | PATIL PRACHI BAJIRAO | 34375.50 |
| | | PATIL PRATIK CHETAN | 34375.50 |
| | | PAWAR SAHIL MANGESH | 34375.50 |
| | | CHALKE MAYURI RAJESH | 34375.50 |
| | | GADBADE MAHAMAD TALHA M J | 34375.50 |
| | | KOKATE PRACHI DILIP | 34375.50 |
| | | RANMALE ANKITA ANNASAHEB | 34375.50 |
| | | SHETYE SAHIL VISHNU | 34375.50 |
| | | ALJI SANAN FAIROZ | 34375.50 |
| | | DEVRUHKAR ABHIJIT LAXMAN | 34375.50 |
| | | KHAMKAR PARTH PRAMOD | 34375.50 |
| | | SAWANT CHAITANYA KIRAN | 34375.50 |
| | | SHINDE RITESH VIJAY | 34375.50 |
| | | JADHAV SUJAL MAHESH | 34375.50 |
| | | ANERAO PARAG HEMANT | 17857.00 |
| | | DIKSHE SEJAL KAMLAKAR | 17857.00 |
| | | DSOUZA ARNOLD ALBERT | 17857.00 |
| | | DSOUZA JOSEPH LOUIS | 17857.00 |
| | | KATEKAR KETAKI SHRIRANG | 17857.00 |
| | | PARAB SIDDHI BALIRAM | 17857.00 |
| | | PHANSOPKAR AMAAN ASAD | 17857.00 |
| | | SHAIKH FARJANA DAWOOD | 17857.00 |
| | | YADAV TEJAS KAMALAKAR | 17857.00 |
| | | BERDE DIVYA CHANDRAKANT | 34375.50 |
| | | BHUVAD ABHISHEK BABAJI | 34375.50 |
| | | BHUVAD RAHUL SANTOSH | 34375.50 |
| | | DALVI OMKAR CHANDRAKANT | 34375.50 |
| | | DHAMASKAR SHAKIR SHAHANAVAJ | 34375.50 |
| | | GHADASHI CHIRAG SUNIL | 34375.50 |
| | | GOTHANKAR MANOJ VIJAY | 34375.50 |
| | | GURAV ADITYA VISHWAS | 34375.50 |
| | | GURAV SWAPNIL SANTOSH | 34375.50 |
| | | JADHAV SIDDHI RAJAN | 34375.50 |
| | | JOSHI POOJA RAGHAVENDRA | 34375.50 |
| | | KAZI FATIMA MOHAMMEDALI | 34375.50 |
| | | MHATUGADE PRATHMESH BAJIRAO | 34375.50 |
| | | PATAYANE ADITYA SANTOSH | 34375.50 |
| | | PATIL SIDDHI VITTHAL | 34375.50 |
| | | POTPHODE SAKSHI PRASHANT | 34375.50 |
| | | RAJESHIRKE AAYUSH KISHOR | 34375.50 |
| | | SAKUNDE KRUTIKA PRADIP | 34375.50 |
| | | SHETYE USHA SHIVA | 34375.50 |
| | | SHIGAVAN KSHITIJ DIPAK | 34375.50 |
| | | SURVE MAYURI MAHESH | 34375.50 |
| | | THAKUR OMKAR SHIRISH | 34375.50 |
| | | PAWAR ANIKET JAYKAR | 34375.50 |
| | | BERDE SAHIL SANTOSH | 34375.50 |
| | | CHAVAN TEJAS BALKRISHNA | 34375.50 |
| | | DALVI SAHARSH UMESH | 34375.50 |

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the year

| Year | Name of the scheme | Number of students benefited by government scheme and amount | |
|------|--------------------|--|----------|
| | | Number of students | Amount |
| | | GOSAVI MALHAR MOHAN | 34375.50 |
| | | GURAV PARTH DATTARAM | 34375.50 |
| | | HARDIKAR SARTHAK SAMEER | 34375.50 |
| | | KARANJEKAR SANKET SUBHASH | 34375.50 |
| | | KHANDE ASHISH PARSHURAM | 34375.50 |
| | | MASANE VIVEK VASANT | 34375.50 |
| | | SANSARE SMIT MANGESH | 34375.50 |
| | | SATOSE SAKSHI SUNIL | 34375.50 |
| | | JADHAV SOHAM ANANT | 34375.50 |
| | | MANGLE NIHAR DILIP | 34375.50 |
| | | PETHE ATHARV SANDIP | 34375.50 |
| | | SALUNKE GAURAV GANESH | 34375.50 |
| | | ANERAO YAMINI SADANAND | 39732.00 |
| | | BAING SARVESH DIPAK | 39732.00 |
| | | BANDAL SUDARSHAN SADASHIV | 39732.00 |
| | | BOBADE ANIS YUNUS | 39732.00 |
| | | BORAGE ABHISHEK BAJIRAO | 39732.00 |
| | | CHAVAN VAISHNAVI ARVIND | 39732.00 |
| | | DAMALE MAKARAND VIJAY | 39732.00 |
| | | JADHAV PURVA MAHESH | 39732.00 |
| | | JUVEKAR MAITREYA MILIND | 39732.00 |
| | | KANADE VAISHNAVI VIJAY | 39732.00 |
| | | KASHID SHIVAM JITENDRA | 39732.00 |
| | | KHOT SANSKRUTI YUVARAJ | 39732.00 |
| | | KHOT VEDANT UMESH | 39732.00 |
| | | MANE AMEY ANANT | 39732.00 |
| | | MANE SHUBHANKAR MAHESH | 39732.00 |
| | | MAURYA SHUBHAM SHIVALOCHAN | 39732.00 |
| | | NADAF SIMRAN SIRAJ | 39732.00 |
| | | PATANGE AKASH TULSHIRAM | 39732.00 |
| | | PATKAR SAGAR BHASKAR | 39732.00 |
| | | PAWAR GAURAV DILIP | 39732.00 |
| | | RAJWADE CHAITANYA JAYANT | 39732.00 |
| | | SAWANT BHAKTI MAHENDRA | 39732.00 |
| | | SAWANT NIDHI SUDHIR | 39732.00 |
| | | SHINDE HARSHAD DEEPAK | 39732.00 |
| | | SHINDE PURVA MAHADEV | 39732.00 |
| | | SHINDE SANIYA RAVINDRA | 39732.00 |
| | | BOBADE SAIF MURAD | 39732.00 |
| | | BODALE YASIN MANSURALI | 39732.00 |
| | | GAWADE RUPESH SUBHASH | 39732.00 |
| | | GHADI SURAJ CHANDRAKANT | 39732.00 |
| | | GUHAGARKAR SAQIB SAMEER | 39732.00 |
| | | KHANVILKAR SAHIL VASANT | 39732.00 |
| | | LAD AKASH ASHOK | 39732.00 |
| | | MANDLEKAR TARIK ABDUL RAUF | 39732.00 |
| | | QUAZI SHAHBAZ SAMIR AHMED | 39732.00 |
| | | RAWOOL BHUVAN AJIT | 39732.00 |
| | | SAWANT OMKAR RAJENDRA | 39732.00 |
| | | SHELATKAR ADWAIT VISHAL | 39732.00 |
| | | SHINDE DHIRAJ RAMAKANT | 39732.00 |
| | | SOLKAR MUZAMMIL MANSUR | 39732.00 |
| | | UPADE FARDEEN ISMAIL | 39732.00 |

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the year

| Year | Name of the scheme | Number of students benefited by government scheme and amount | |
|----------------|------------------------|--|-------------------|
| | | Number of students | Amount |
| | | CHANDANE AVDHUT ARVIND | 39732.00 |
| | | KHALIFE FAIZAN FIROJ | 39732.00 |
| | | MAHALDAR KAIF YASIN | 39732.00 |
| | | MAJALKAR VIDYA SURESH | 39732.00 |
| | | NEVAREKAR PARSHURAM PADMAKAR | 39732.00 |
| | | PARAB CHINMAY NITIN | 39732.00 |
| | | SALVI TEJAS VILAS | 39732.00 |
| | | BHINGARDE RUTUJ SANDEEP | 39732.00 |
| | | CHANDE MANDAR VASANT | 39732.00 |
| | | GHOSALKAR AMEY SANDIP | 39732.00 |
| | | NAIK ARSHAN ASLAM | 39732.00 |
| | | PATIL LALIT DHANANJAY | 39732.00 |
| | | RANE BHUSHAN AJIT | 39732.00 |
| | | SIDDIQUE AZHAR SALIM | 39732.00 |
| | | PANGALE KETAN KRUSHNA KANCHAN | 17857.00 |
| | | GARATE SURAJ CHANDRAKANT | 17857.00 |
| | | LOKAM ROHIT RAVINDRA | 17857.00 |
| | | Shekasan Nauman Nasir | 34375.50 |
| | | Gurav Sauraj Santosh | 34375.50 |
| | | SHIRSAT SAKSHI MAHESH | 17857.00 |
| | | SARANGE VISHWAS ANANT | 17857.00 |
| | | Total | 5415005.00 |
| 2023-24 | SBC Scholarship | ADIVAREKAR ATHARV RAMDAS | 68751.00 |
| | | ANKAM VISHALINI VENKATRAJAM | 68751.00 |
| | | DOLKAR TANVI SANDIP | 68751.00 |
| | | SHRAVANI UMESH KOYANDE | 68751.00 |
| | | KOULE SUYASH SANJAY | 68751.00 |
| | | PALEKAR KRANTI KRUSHNA | 68751.00 |
| | | AMBURLE YASH SANTOSH | 79464.00 |
| | | Total | 491970.00 |
| 2023-24 | SBC Freeship | WASAVE MANTHAN MANOJ | 68751.00 |
| | | KARBHARI SANCHIT DATTATRAYA | 79464.00 |
| | | RASANE SANIKA AVINASH | 35714.00 |
| | | Total | 183929.00 |
| 2023-24 | SC Scholarship | GAMARE YASH AJIT | 77000.00 |
| | | MUNESHWAR SUBODH UTTAM | 77000.00 |
| | | SAWARDEKAR SUJAL SUNIL | 77000.00 |
| | | GAIKWAD YASH HANUMANT | 77000.00 |
| | | JADHAV ARYAN SANTOSH | 77000.00 |
| | | KAMBLE MITESH RAVINDRA | 77000.00 |
| | | KURANE RUTUJA PRADIP | 77000.00 |
| | | SAWARDEKAR RAJ SANTOSH | 77000.00 |
| | | SAWARDEKAR YASH SANJAY | 77000.00 |
| | | GOVALKAR SANTOSHI KESHAV | 89000.00 |
| | | KONDVILKAR PUJA ANIL | 89000.00 |
| | | KAMBLE ADITYA PRAKASH | 89000.00 |
| | | KHEDKAR CHETAN DEEPAK | 89000.00 |
| | | AMBEKAR SAHIL SUNIL | 89000.00 |
| | | KAMBALE PRANAVKUMAR SANJAY | 89000.00 |
| | | AMBAVKAR YASH NARESH | 77000.00 |
| | | SAWANT SEJAL VIJAY | 77000.00 |
| | | PAWAR ARYAN SANTOSH | 69500.00 |
| | | SHINDE PAURAV AKASH | 77000.00 |

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the year

| Year | Name of the scheme | Number of students benefited by government scheme and amount | |
|----------------|--|--|-------------------|
| | | Number of students | Amount |
| | | Total | 1527500.00 |
| 2023-24 | SC Freeship | JADHAV KAUSHIK SANDESH | 69500.00 |
| | | PATANKAR ADITYA ANIL | 77000.00 |
| | | KAMBLE ASHWAJIT SANTOSH | 77000.00 |
| | | JADHAV ROHAN RAJENDRA | 40000.00 |
| | | KAMBLE AVANTI ASHOK | 40000.00 |
| | | JADHAV MANAV MOHAN | 77000.00 |
| | | TAMBE SHREYA DILIP | 77000.00 |
| | | KAMBLE CHINMAY CHANDRAKANT | 77000.00 |
| | | JADHAV SWAPNIL MILIND | 77000.00 |
| | | MOHITE TEJAS VIJAY | 77000.00 |
| | | JADHAV KSHITIJ SUNIL | 89000.00 |
| | | PAWAR SAHIL CHANDRAKANT | 89000.00 |
| | | Total | 866500.00 |
| 2023-24 | ST Freeship | KSHITIJ CHANGU SHID | 77000.00 |
| | | Total | 77000.00 |
| 2023-24 | Minority Scholarship | MULLA MAZIM SAMEER | 50000.00 |
| | | MHATE REHAN HANIF | 50000.00 |
| | | MUKADAM ASIL MAHEMOOD | 50000.00 |
| | | BUDYE MOHAMMED KHIZAR NADIM | 36555.00 |
| | | SOLKAR AZAMAT SAMEER | 50000.00 |
| | | Total | 236555.00 |
| 2023-24 | DrPunjabrao Deshmukh Vastigruh Nirvah Bhatta Yojna(DTE) | | |
| | | Bhushan Ajit Rane | 38000.00 |
| | | Sakshi Sunil Amonkar | 38000.00 |
| | | Suraj Chandrakant Ghadi | 38000.00 |
| | | Vaishnavi Arvind Chavan | 38000.00 |
| | | Aditya Vishwas Gurav | 38000.00 |
| | | Vishwas Anant Sarange | 22800.00 |
| | | Krutika Pradip Sakunde | 38000.00 |
| | | Krishna Durgesh Khanapurkar | 34200.00 |
| | | Sahil Vishnu Shetye | 30400.00 |
| | | Aayush Kishor Rajeshirke | 38000.00 |
| | | Parth Pramod Khamkar | 38000.00 |
| | | Vaishnavi Vijay Kanade | 38000.00 |
| | | Rupesh Subhash Gawade | 38000.00 |
| | | Piyush Pramod Kadam | 38000.00 |
| | | Nauman Nasir Shaikasan | 38000.00 |
| | | Vedant Umesh Khot | 38000.00 |
| | | KAIF YASIN MAHALDAR | 38000.00 |
| | | Prachi Dilip Kokate | 30400.00 |
| | | ABHISHEK BABAJI BHUVAD | 38000.00 |
| | | Dipesh Vasudev Parab | 38000.00 |
| | | Vidya Suresh Majalkar | 38000.00 |
| | | Faizan Firoz Khalife | 38000.00 |
| | | Yash Prakash Limaye | 34200.00 |
| | | Shivam Jitendra Kashid | 38000.00 |
| | | Sahil Santosh Berde | 38000.00 |
| | | Sarthak Sameer Hardikar | 38000.00 |
| | | Akash Tulshiram Patange | 38000.00 |
| | | Mandar Vasant Chande | 38000.00 |
| | | Hussain Shahbaz Khot | 38000.00 |
| | | Sahil Mangesh Pawar | 38000.00 |

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the year

| Year | Name of the scheme | Number of students benefited by government scheme and amount | |
|------|--------------------|--|----------|
| | | Number of students | Amount |
| | | Malhar Mohan Gosavi | 38000.00 |
| | | Durvesh Sakharam Kulabkar | 38000.00 |
| | | MAYURI RAJESH CHALKE | 26600.00 |
| | | Smit Mangesh Sansare | 38000.00 |
| | | Gundu Eknath Bhagat | 34200.00 |
| | | Shubhankar Mahesh Mane | 38000.00 |
| | | Pratham Anil Bhosale | 38000.00 |
| | | Parth Dattaram Gurav | 38000.00 |
| | | Omkar Shirish Thakur | 38000.00 |
| | | Abhijit Laxman Devrukhakar | 38000.00 |
| | | Anis Yunus Bobade | 38000.00 |
| | | Prathamesh Bajirao Mhatugade | 38000.00 |
| | | Siddhi Rajan Jadhav | 38000.00 |
| | | Pratik Chetan Patil | 38000.00 |
| | | Sanket Subhash Karanjekar | 38000.00 |
| | | Siddhi Vitthal Patil | 38000.00 |
| | | Ishan Abhay Kamat | 34200.00 |
| | | Vaibhav Santosh Dhavade | 34200.00 |
| | | Vaishnavi Manoj Jadhav | 38000.00 |
| | | Muzammil Mansur Solkar | 38000.00 |
| | | Tarik Abdul Rauf Mandlekar | 38000.00 |
| | | ANIKET JAYKAR PAWAR | 38000.00 |
| | | Chaitanya Kiran Sawant | 38000.00 |
| | | Makarand Vijay Damale | 38000.00 |
| | | Fatima Mahamad Ali Kazi | 38000.00 |
| | | Purva Mahadev Shinde | 38000.00 |
| | | Usha Shiva Shetye | 38000.00 |
| | | Abhishek Bajirao Borage | 38000.00 |
| | | Arshan Aslam Naik | 38000.00 |
| | | DIVYA CHANDRAKANT BERDE | 38000.00 |
| | | Jagannath Sakharam Gaonkar | 38000.00 |
| | | Kshitij Dipak Shigavan | 38000.00 |
| | | Katyayani Ravindra Joshi | 38000.00 |
| | | Sakshi Sunil Satose | 38000.00 |
| | | Vivek Vasant Masane | 38000.00 |
| | | Sauraj Santosh Gurav | 38000.00 |
| | | Vaidehi Umesh Khot | 38000.00 |
| | | RAHUL SANTOSH BHUVAD | 38000.00 |
| | | Chinmay Nitin Parab | 38000.00 |
| | | Shreyas Dnyaneshwar Mayekar | 38000.00 |
| | | Rushikesh Vinayak Chavan | 34200.00 |
| | | Sanskruiti Yuvaraj Khot | 38000.00 |
| | | CHIRAG SUNIL GHADASHI | 38000.00 |
| | | Avdhut Arvind Chandane | 38000.00 |
| | | Amey Anant Mane | 38000.00 |
| | | Fardeen Ismail Upade | 38000.00 |
| | | Tejas Balkrishna Chavan | 38000.00 |
| | | GRISHMA MAHESH SURVE | 34200.00 |
| | | Aditi Umesh Mahadik | 38000.00 |
| | | Pradnyesh Dinesh Kakde | 38000.00 |
| | | Ankita Annasaheb Ranmale | 34200.00 |
| | | Prathmesh Santosh Adhatrao | 34200.00 |
| | | Ashish Parshuram Khande | 38000.00 |

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and free ships provided by the Government during the year

| Year | Name of the scheme | Number of students benefited by government scheme and amount | |
|------|--------------------|--|-------------------|
| | | Number of students | Amount |
| | | GAURAV GANESH SALUNKE | 38000.00 |
| | | Parshuram Padmakar Nevrekar | 38000.00 |
| | | Ritesh Vijay Shinde | 38000.00 |
| | | Shahbaz Samir Ahmed Quazi | 38000.00 |
| | | Azhar Salim Siddique | 38000.00 |
| | | Pooja Raghavendra Joshi | 38000.00 |
| | | Sagar Bhaskar Patkar | 38000.00 |
| | | Total | 3344000.00 |




PRABODHAN SHIKSHAN PRASARAK SANSTHA'S (Reg. No. E - 697 Ratnagiri)
RAJENDRA MANE COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Approved by AICTE New Delhi, Affiliated to Mumbai University & Recognised by D. T. E. Govt. of Maharashtra
Accredited by NAAC with B+ Grade DTE Code : 3202

At & Po. Ambav (Devrukh), Tal. Sangameshwar, Dist. Ratnagiri, Pin - 415 804 (Maharashtra)
☎(02354) 269400/269401 ● Fax No. : (02354) 269699 ● Email : info@rmcet.com ● Website : www.rmcet.com

Policy decision with respect to the concession to be offered to the students admitted against Institute Level seat/ Against CAP vacancy:

1. First, Direct Second Year engineering and First Year MMS students admitted against Institute Level seats or Against CAP vacancy will be offered 50% concession in Tuition fee (FE to BE) on submitting the relevant documents as required for CAP candidates to avail government scholarship/ freeship.
2. Direct Second Year admitted student, who does not fulfill the documents requirements for availing government scholarship/ freeship will be given Rs.10000/- concession in Tuition fee (FE to BE).
3. Student pass out (HSC) from our Sanstha's Kai. Sau. Meenatai Thakery Jr. Science College and who does not avail government scholarship/ freeship will be offered 30% concession in Tuition fee only for first year and from second year onwards he will pay full Tuition fee.
4. Ward of staff working in Police department of Ratnagiri district will be offered 20% concession in Tuition fee (FE to BE) in addition to already availing government scholarship/ freeship.
5. Tuition fee and Hostel rent waiver scheme announced by the Management to meritorious and needy students wherein a student will be offered 100% concession in Tuition fee and Hostel rent (FE to BE).
6. In addition to above a concession separately sanctioned by Hon. Chairman will be added.



Office Superintendent
Rajendra Mane College of Engineering and Technology



Principal
Rajendra Mane College of Engineering and Technology


Date: 05.03.2020

PRABODHAN SHIKSHAN PRASARAK SANSTHA'S
RAJENDRA MANE COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
List Of Student Admission Financially Weaker Section F.Y. 2023-24


| Sr. No. | Year | Branch | Student Name | Concession Amount |
|---------|------|--------|----------------------------|-------------------|
| 01 | BE | AUTO | GHOSALKAR AMEY SANDIP | 10,000.00 |
| 02 | BE | AUTO | JADHAV TEJAS SITARAM | 10,000.00 |
| 03 | BE | AUTO | PATIL LALIT DHANANJAY | 10,000.00 |
| 04 | BE | AUTO | RANE BHUSHAN AJIT | 10,000.00 |
| 05 | BE | AUTO | PETKAR VINAYAK SANJAY | 28,182.00 |
| 06 | BE | AUTO | BHINGARDE RUTUJ SANDEEP | 39,732.00 |
| 07 | BE | AUTO | CHANDE MANDAR VASANT | 39,732.00 |
| 08 | BE | AUTO | GHAG VIKRANT SANJAY | 39,732.00 |
| 09 | BE | AUTO | KARKARE SHRAVAN SANJAY | 39,732.00 |
| 10 | BE | AUTO | NAIK ARSHAN ASLAM | 39,732.00 |
| 11 | BE | AUTO | TAMBOSKAR MAYURESH SANJAY | 39,732.00 |
| 12 | BE | COMP | ANERAO YAMINI SADANAND | 39,732.00 |
| 13 | BE | COMP | CHAVAN VAISHNAVI ARVIND | 39,732.00 |
| 14 | BE | COMP | GURAV PRASAD PRAKASH | 39,732.00 |
| 15 | BE | COMP | GURAV VAISHNAVI PRAVIN | 39,732.00 |
| 16 | BE | COMP | JUVEKAR MAITREYA MILIND | 39,732.00 |
| 17 | BE | COMP | KANADE VAISHNAVI VIJAY | 39,732.00 |
| 18 | BE | COMP | KARANJAVKAR YASH ASHOK | 39,732.00 |
| 19 | BE | COMP | KASHID SHIVAM JITENDRA | 39,732.00 |
| 20 | BE | COMP | KHAMKAR NILESH NAVNATH | 39,732.00 |
| 21 | BE | COMP | KOKATE POOJA VINOD | 39,732.00 |
| 22 | BE | COMP | MAURYA SHUBHAM SHIVALOCHAN | 39,732.00 |
| 23 | BE | COMP | MOHIRE CHIRAG MAHENDRA | 10,000.00 |
| 24 | BE | COMP | NADAF SIMRAN SIRAJ | 39,732.00 |
| 25 | BE | COMP | PATERE ABHIJIT ASHOK | 39,732.00 |
| 26 | BE | COMP | PATKAR SAGAR BHASKAR | 39,732.00 |
| 27 | BE | COMP | RAUT PRANAV RAMESH | 39,732.00 |
| 28 | BE | COMP | REVALE MAYURI SHRIKANT | 10,000.00 |
| 29 | BE | COMP | SALVI RITIKA UMAKANT | 39,732.00 |
| 30 | BE | COMP | SAWANT NIDHI SUDHIR | 39,732.00 |
| 31 | BE | COMP | SHINDE PURVA MAHADEV | 39,732.00 |
| 32 | BE | COMP | VALAPKAR AJAY ANANT | 39,732.00 |


(A.R. Shinde)


(C.A.D.)


(C.D.S.)

PRINCIPAL
Rajendra Mane College of Engineering
& Technology, Ambavai, Devrukh,
Tal. Sangameshwar Dist. Ratnagiri,
Pin: 415 604 (Maharashtra)




PRABODHAN SHIKSHAN PRASARAK SANSTHA'S
RAJENDRA MANE COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
List Of Student Admission Financially Weaker Section F.Y. 2023-24

| Sr. No. | Year | Branch | Student Name | Concession Amount |
|---------|------|--------|------------------------------|-------------------|
| 33 | BE | COMP | VILANKAR MIHIR VIJAY | 39,732.00 |
| 34 | BE | EXTC | KHALIFE FAIZAN FIROJ | 39,732.00 |
| 35 | BE | EXTC | MAJALKAR VIDYA SURESH | 39,732.00 |
| 36 | BE | EXTC | NEVAREKAR PARSHURAM PADMAKAR | 39,732.00 |
| 37 | BE | EXTC | PARAB CHINMAY NITIN | 39,732.00 |
| 38 | BE | EXTC | RANJE BHAKTI SHASHIKANT | 39,732.00 |
| 39 | BE | EXTC | SALVI TEJAS VILAS | 39,732.00 |
| 40 | BE | EXTC | TERKHEDKAR RENUKADAS D | 39,732.00 |
| 41 | BE | EXTC | TODANKAR SAIRAJ NANDKURMAR | 39,732.00 |
| 42 | BE | MECH | ACHAREKAR NILESH NARENDRA | 10,000.00 |
| 43 | BE | MECH | BHUTE SNEHA VINOD | 39,732.00 |
| 44 | BE | MECH | BHUWAD ROSHAN RAMCHANDRA | 39,732.00 |
| 45 | BE | MECH | BODALE YASIN MANSURALI | 10,000.00 |
| 46 | BE | MECH | BODEKAR ASHISH RAMCHANDRA | 10,000.00 |
| 47 | BE | MECH | GARATE SANKET SHRIDHAR | 10,000.00 |
| 48 | BE | MECH | GAWADE RUPESH SUBHASH | 39,732.00 |
| 49 | BE | MECH | GHADI SURAJ CHANDRAKANT | 39,732.00 |
| 50 | BE | MECH | JOSHI AJINKYA SANJAY | 39,732.00 |
| 51 | BE | MECH | KADU RUTURAJ RAMESH | 10,000.00 |
| 52 | BE | MECH | KATKAR ONKAR SHATRUGHAN | 39,732.00 |
| 53 | BE | MECH | MANDAVKAR PRAJYOT SURESH | 10,000.00 |
| 54 | BE | MECH | MATE SARIKA RAMCHANDRA | 39,732.00 |
| 55 | BE | MECH | RAWOOL BHUVAN AJIT | 39,732.00 |
| 56 | BE | MECH | REWALE AMAN ANIL | 39,732.00 |
| 57 | BE | MECH | SAWANT OMKAR RAJENDRA | 20,000.00 |
| 58 | BE | MECH | SHELATKAR ADWAIT VISHAL | 10,000.00 |
| 59 | BE | MECH | SHINDE DHIRAJ RAMAKANT | 39,732.00 |
| 60 | BE | MECH | SOLKAR MUZAMMIL MANSUR | 10,000.00 |
| 61 | FY | MMS | BUDYE MOHAMMED KHIZAR NADIM | 16,637.00 |
| 62 | FE | COMP | GORKHE AKSHAT SUBHASH | 30,971.00 |
| 63 | FE | COMP | VICHARE SHREYA JITENDRA | 30,972.00 |
| 64 | FE | COMP | WALUNJ PRANAY SANTOSH | 30,972.00 |

(Handwritten signatures)

PRINCIPAL
Rajendra Mane College of Engineering
& Technology Ambav, Devrukh,
Tal. Sangameshwar, Dist. Ratnagiri
Pin : 415 004 (Maharashtra)




PRABODHAN SHIKSHAN PRASARAK SANSTHA'S
RAJENDRA MANE COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
List Of Student Admission Financially Weaker Section F.Y. 2023-24

| Sr. No. | Year | Branch | Student Name | Concession Amount |
|---------|------|--------|-------------------------------|-------------------|
| 65 | FE | MECH | MANAVE CHIRAG SANTOSH | 30,972.00 |
| 66 | FE | MECH | SALUNKE DIKSHA GANESH | 30,972.00 |
| 67 | SE | AUTO | BORGAONKAR RUTIK UDAY | 29,375.00 |
| 68 | SE | AUTO | AMBRE ADITYA LAXMAN | 29,375.00 |
| 69 | SE | AUTO | GURAV SWAPNIL GAJANAN | 34,375.00 |
| 70 | SE | COMP | AKTE VEDANT VIKAS | 34,375.00 |
| 71 | SE | COMP | GHAG NIHAR RATNAKAR | 34,375.00 |
| 72 | SE | COMP | GHUME DIVYA DIPAK | 34,375.00 |
| 73 | SE | COMP | GURAV SIDDHESH SURESH | 34,375.00 |
| 74 | SE | COMP | RAUT SHIVAM VILAS | 34,375.00 |
| 75 | SE | COMP | SALVI SIDDHI VIJAY | 34,375.00 |
| 76 | SE | COMP | SAWANT UDAY MANOHAR | 77,000.00 |
| 77 | SE | COMP | SHINDE VEDANT SUSHIL | 34,375.00 |
| 78 | SE | COMP | SOLKAR AZAMAT SAMEER | 34,375.00 |
| 79 | SE | COMP | SONNEKAR JAYPRAKASH PRADIPRAO | 34,375.00 |
| 80 | SE | COMP | TAMBE SANTOSH BUDHIVANT | 34,375.00 |
| 81 | SE | MECH | ALJI SANAN FAIROZ | 34,375.00 |
| 82 | SE | MECH | DEVRUHKAR ABHIJIT LAXMAN | 34,375.00 |
| 83 | SE | MECH | BHUVAD OMKAR ANANT | 34,375.00 |
| 84 | SE | MECH | KATKAR RIDDHESH RAVINDRA | 34,375.00 |
| 85 | SE | MECH | KHADABALE SANGHARSH SANTOSH | 34,375.00 |
| 86 | SE | MECH | KHAMKAR PARTH PRAMOD | 34,375.00 |
| 87 | SE | MECH | SAWANT CHAITANYA KIRAN | 34,375.00 |
| 88 | SE | MECH | SHINDE RITESH VIJAY | 34,375.00 |
| 89 | SE | MECH | BOLE MANSI SANJAY | 29,375.00 |
| 90 | SE | MECH | GOTAD VIRENDRA VILAS | 29,375.00 |
| 91 | SE | MECH | PRATHAMESH GANPAT BHERE | 29,375.00 |
| 92 | SE | MECH | SAHIL NARAYAN GHANEKAR | 34,375.00 |
| 93 | SE | MECH | SANKET PRAMOD DEVALEKAR | 29,375.00 |
| 94 | SE | MECH | SURVE MANDAR NARAYAN | 29,375.00 |
| 95 | SE | MECH | SWAROOP SHANTARAM HORAMBE | 29,375.00 |
| 96 | SE | MECH | YADAV VIKRANT VIJAY | 29,375.00 |

(Handwritten signatures)

PRINCIPAL
Rajendra Mane College of Engineering
& Technology Ambay, Devrukh,
Tal. Sangameshwar, Dist. Ratnagiri.
Pin : 415 804 (Maharashtra)




**PRABODHAN SHIKSHAN PRASARAK SANSTHA'S
RAJENDRA MANE COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
List Of Student Admission Financially Weaker Section F.Y. 2023-24**

| Sr. No. | Year | Branch | Student Name | Concession Amount |
|---------|------|--------|------------------------------|-------------------|
| 97 | SY | MMS | SONDKAR AKSHAY DIPAK | 15,000.00 |
| 98 | SY | MMS | ANERAO PARAG HEMANT | 17,857.00 |
| 99 | TE | AUTO | JADHAV SOHAM ANANT | 10,000.00 |
| 100 | TE | AUTO | MANGLE NIHAR DILIP | 34,375.00 |
| 101 | TE | AUTO | NAIK BABAN SHIVAJI | 10,000.00 |
| 102 | TE | AUTO | PETHE ATHARV SANDIP | 10,000.00 |
| 103 | TE | AUTO | SALUNKE GAURAV GANESH | 34,375.00 |
| 104 | TE | COMP | BERDE DIVYA CHANDRAKANT | 34,375.00 |
| 105 | TE | COMP | BERDE TRUPTI RAJKUMAR | 34,375.00 |
| 106 | TE | COMP | BHAGATE SAHIL MANOHAR | 10,000.00 |
| 107 | TE | COMP | BHUVAD ABHISHEK BABAJI | 34,375.00 |
| 108 | TE | COMP | BHUVAD RAHUL SANTOSH | 34,375.00 |
| 109 | TE | COMP | DHAMASKAR SHAKIR SHAHANAVAJ | 34,375.00 |
| 110 | TE | COMP | GURAV SAURAJ SANTOSH | 34,375.00 |
| 111 | TE | COMP | GHADASHI CHIRAG SUNIL | 34,375.00 |
| 112 | TE | COMP | GHADASHI RAJ SANJAY | 34,375.00 |
| 113 | TE | COMP | GURAV ADITYA VISHWAS | 34,375.00 |
| 114 | TE | COMP | GURAV SWAPNIL SANTOSH | 34,375.00 |
| 115 | TE | COMP | JOYASHI ADARSH MAHESH | 34,375.00 |
| 116 | TE | COMP | JADHAV HARSHAL RAVINDRA | 10,000.00 |
| 117 | TE | COMP | JADHAV SIDDHI RAJAN | 34,375.00 |
| 118 | TE | COMP | KAWALKAR ASHRAY SANDIP | 34,375.00 |
| 119 | TE | COMP | KAZI FATIMA MOHAMMEDALI | 34,375.00 |
| 120 | TE | COMP | KOLKAR PRANAV SADANAND | 34,375.00 |
| 121 | TE | COMP | KINJALE RAHUL SURYAKANT | 68,751.00 |
| 122 | TE | COMP | KUVALEKAR KALPESH BHANUDAS | 34,375.00 |
| 123 | TE | COMP | LINGAYAT TEJASWINI NANDKUMAR | 34,375.00 |
| 124 | TE | COMP | MUDRAS LINA SANTOSH | 34,375.00 |
| 125 | TE | COMP | MULLA MAZIM SAMEER | 18,751.00 |
| 126 | TE | COMP | NEMAN SAMIKSHA SANJAY | 34,375.00 |
| 127 | TE | COMP | POTPHODE SAKSHI PRASHANT | 34,375.00 |
| 128 | TE | COMP | PUJARE DEVANG PRADEEP | 10,000.00 |

(Handwritten signatures)


PRINCIPAL

Rajendra Mane College of Engineering
& Technology Ambur, Devrukh,
Tal. Sangameshwar, Dist. Ratnagiri.
Pin: 415 804 (Maharashtra)




**PRABODHAN SHIKSHAN PRASARAK SANSTHA'S
RAJENDRA MANE COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
List Of Student Admission Financially Weaker Section F.Y. 2023-24**

| Sr. No. | Year | Branch | Student Name | Concession Amount |
|---------|------|--------|---------------------------|-------------------|
| 129 | TE | COMP | RAJESHIRKE AAYUSH KISHOR | 34,375.00 |
| 130 | TE | COMP | RANE VIRAT UMESH | 68,751.00 |
| 131 | TE | COMP | SHIGAVAN KSHITIJ DIPAK | 34,375.00 |
| 132 | TE | COMP | SURVE MAYURI MAHESH | 34,375.00 |
| 133 | TE | COMP | SUWARE DIPALI DATTARAM | 34,375.00 |
| 134 | TE | EXTC | PEDNEKAR OMKAR LALIT | 34,375.00 |
| 135 | TE | EXTC | SALGAONKAR BHAKTI VISHRAM | 34,375.00 |
| 136 | TE | MECH | BERDE SAHIL SANTOSH | 34,375.00 |
| 137 | TE | MECH | CHAVAN TEJAS BALKRISHNA | 34,375.00 |
| 138 | TE | MECH | DALVI SAHARSH UMESH | 29,375.00 |
| 139 | TE | MECH | GURAV PARTH DATTARAM | 34,375.00 |
| 140 | TE | MECH | HARDIKAR SARTHAK SAMEER | 34,375.00 |
| 141 | TE | MECH | KARANJEKAR SANKET SUBHASH | 34,375.00 |
| 142 | TE | MECH | KHAMKAR AKSHAY VISHNU | 63,751.00 |
| 143 | TE | MECH | KHANDE ASHISH PARSHURAM | 34,375.00 |
| 144 | TE | MECH | MASANE VIVEK VASANT | 34,375.00 |
| 145 | TE | MECH | MAYEKAR ABHIRAJ SANDIP | 10,000.00 |
| 146 | TE | MECH | RASAL SUYASH SUDARSHAN | 34,375.00 |
| 147 | TE | MECH | REDIJ SAMARTH VIJAY | 34,375.00 |
| 148 | TE | MECH | SHAIKASAN NAUMAN NASIR | 34,375.00 |
| 149 | TE | MECH | SANSARE SMIT MANGESH | 34,375.00 |
| 150 | TE | MECH | SATOSE SAKSHI SUNIL | 34,375.00 |
| | | | <i>Total</i> | 4,863,997.00 |


(A.R. Shirke) (A.O.)


(D.S.)


PRINCIPAL
Rajendra Mane College of Engineering
& Technology, Ambay, Devrukh,
Tal. Sangameshwar, Dist. Ratnagiri
Pin - 415 804 (Maharashtra)

